न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
294/2013	19.12.2013	21.1.16

उनवान

1. सन्तोषदेवी पत्नी सतीशकुमार जाति जाट निवासी ग्राम हरसोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:– वादी

बनाम

1. रविन्द्र पुत्र फूलसिंह
2. सुन्ता
3. सुमन
4. मनीषा पुत्रीयान फूलसिंह
5. मेवादेवी पत्नी फूलसिंह
6. भरपाई पुत्री रामजीलाल
7. चिड़िया पुत्री रामजीलाल
8. लाली पुत्री रामजीलाल जाति जाटान निवासी ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
9. जयकिशन
10. कर्मवीर पुत्रान गिन्दो जाति जाटान निवासी ग्राम बावल जिला रेवाड़ी(हरि.) हाल आबाद ग्रम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

:– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक,
तकासमा वो हुक्मईम्तनाईदवामी अंतर्गत
धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955

उपस्थित :–
1. श्री शेरसिंह चौधरी अधिवक्ता, वादी

निर्णय

वादी द्वारा एक वाद इश्तकरारहक, तकासमा वो हुक्मईम्तनाईदवामी अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 852 रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाके ग्राम हरसोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज. मिन वादिया व प्रतिवादीगण सं0 1 से 10 की सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु पक्षकारान ने विवादित आराजी का बाहमीतौर पर 5 साल से बटवारा किया हुआ है। बाहमी बटवारा के अनुसार विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में जो मिन वादिया का 104/245 हिस्सा है वो हिस्सा उत्तर दिशा में आया हुआ है और मिन वादिया ने अपने हिस्से उपरोक्त में उत्तर–पूर्व के कोने में बोरिंग की हुई है और मिन वादिया ने अपने नाम से कृषि कनेक्शन विद्युत विभाग से लिया हुआ है। और मिन वादिया बाहमी बटवारा के अनुसार ही विवादित आराजी में अपने 104/245 हिस्सो पर उत्तर दिशा में काबिज व दखिल होकर काश्त करती चली आरही है। विवादित आराजी से लगता हुआ एक आम रास्ता जो हरसौली से बीबीरानी जा रहा है जो आम रास्ता 25 फीट का है। प्रतिवादीगण आये रोज मिन वादिया के बाहमी बटवारा में आई हुई आराजी के कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते रहते है। फसल बोने, दरों करने में रुकावट पैदा करते रहते है। व जबरन अपना कब्जा करना चाहते हैं। इसलिये मिन वादिया विवादित आराजी के बाहमी बटवारा में जो 104/245 हिस्सा तरफ उत्तर दिशा में आया हुआ है उसका वादिया राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर तकासमा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस कुरेजात कायम करवाकर अलग खाता कायम करवाने की अधिकारी हूँ। इसलिये मिन वादिया को यह दावा इश्तकरारहक मय तकासमा पेश करना लाजिम आया है। मिन वादिया ने बाहमी बटवारा के अनुसार विवादित आराजी का तकासमा अलग खाता करवाने हेतु प्रतिवादीगणों से दिनांक 15.12.2013 को निवेदन किया तो उन्होने साफ इन्कार कर दिया । इसलिये अविलम्ब ही यह दावा पेश किया है। वादपत्र हेतु बिनायदवामी व बिनायमुखासमत दिनांक 15.12.2013 को पैदा होने से दावा अन्दर अवधि पेश है। प्रतिवादी सं0 11 तकासमा के वाद में आवश्यक पक्षकार व भूमिधारी होने के कारण उन्हे पक्षकार मुकद्दमा बनाया गया है। अतः प्रार्थना है कि वादिया का वाद बहक वादिया डिक्री इश्तकरारहक मय तकसीम व हुकमइम्तनाई दवामी पारित की जाकर 1. आराजी हाल ख0 नम्बर 852/0.2500 हैक्टेयर वाके ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर में वादिया के 104/245 हिस्से तरफ उत्तर दिशा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तकासमा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस कुरेजात कायम कर बाहमी बटवारा के अनुसार अलग खाता कायम किया जावे व अलग से दखल दिलावाया जावे व तितम्मा काटा जावे। 2. प्रतिवादीगणों को पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी को कहीं दीगर जगह रहन बय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करें, ना ही वादिया के कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

प्रतिवादीगण 1 से 10 की तामील हो जाने पर भी उचित पैरवी नहीं करने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी पैरोकार सरकार जवाब में राज्य हित नहीं होना पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेज प्रदर्श पी –1 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 पेश की। साक्ष्य वादी पी0डब्ल्यू–1 सन्तोषदेवी, पी0डब्ल्यू–2 सूरजभान, पी0डब्ल्यू–3 महावीर के शपथपत्र पेश किये।

प्रकरण में साक्ष्य व सुनवाई के पश्चात दिनांक 20.11.2015 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई व तहसीलदार कोटकासिम का विवादित आराजी में वादिया को तरफ उत्तर पूर्व का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग खाता व लगान कायम कर प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार कोटकासिम के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। विभाजन प्रस्ताव पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहसोपरान्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत है।

आदेश

वादिया का वाद डिक्री किया जाता है वादिया को आराजी हाल खसरा नम्बर 852 रकबा 0.1100 हैक्ट0 लगान 1.61 रुपये तरफ उत्तर पूर्व तथा प्रतिवादीगण 1 से 10 को उनके हिस्सेनुसार शेष रकबा 0.1400 हैक्टेयर लगान 2.04 रुपये का वाके ग्राम हरसोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादिया व प्रतिवादीगण का अलग अलग खाता कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.1.16 को मेरे टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिम्ब्री)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

पेश किया गया। ... इस प्रकार संलग्न न्यायालय में ... होना

उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
294/2013	19.12.2013	21.1.16

उनवान

1. सन्तोषदेवी पत्नी सतीशकुमार जाति जाट निवासी ग्राम हरसोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:– वादी

बनाम

1. रविन्द्र पुत्र फूलसिंह
2. सुन्ता
3. सुगन
4. मनीषा पुत्रीयान फूलसिंह
5. मेवादेवी पत्नी फूलसिंह
6. भरपाई पुत्री रामजीलाल
7. चिडिया पुत्री रामजीलाल
8. लाली पुत्री रामजीलाल जाति जाटान निवासी ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
9. जयकिशन
10. कर्मवीर पुत्रान गिन्दो जाति जाटान निवासी ग्राम बावल जिला रेवाडी(हरि.) हाल आबाद ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

:– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक,
तकासमा वो हुक्मईम्तनाईदवामी अंतर्गत
धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री शेरसिंह चौधरी अधिवक्ता, वादी

निर्णय

वादिया का वाद डिक्री किया जाता है वादिया को आराजी हाल खसरा नम्बर 852 रकवा 0.1100 हैक्ट0 तरफ उत्तर पूर्व लगान 1.61 रुपये तथा प्रतिवादीगण 1 से 10 को उनके हिस्सेनुसार शेष रकबा 0.1400 हैक्ट0 लगान 2.04 रुपये का वाके ग्राम हरसोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादिया व प्रतिवादीगण का अलग अलग खाता कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.1.16 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर न्यायालय से जारी की जाती है।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

21/12 वादी [illegible] उक्त [illegible] वाद डिक्री किया
जाता है विस्तृत निर्णय अलग से [illegible]
खुले न्यायालय में उद्घोषित [illegible] [illegible] (कि०वा०)
पत्रा० [illegible] से [illegible] बाद तकमील दाखिल
दफ्तर की जावे।

[illegible]